संख्या 115 /नौ–2–04(24पे0/2001

प्रेषक,

पी0के0 महान्ति,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना
उत्तरांचल,देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादून : दिनांक ० फरवरी, 2004

विषयः– केन्द्र पोषित ग्रामीण सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान हेतु राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1215/एस–2(IV)2004, दिनांक 10 जनवरी, 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रूद्रप्रयाग में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के स्वीकृति आदेश संख्या डब्लू–11044/109/2003/CRSP दिनांक 01.07.2003 द्वारा केन्द्रांश की राशि के 10 प्रतिशत अंश अवमुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 में राज्यांश के अवशेष 10 प्रतिशत अंश के रूप में रू0 4,89,000/– (रू0 चार लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2– धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही कोषागार से किया जायेगा तथा स्वीकृत धन का 80 प्रतिशत उपयोग हो जाने एंव केन्द्रांश की अगली किस्त प्राप्त होने के उपरान्त ही आगामी मॉग प्रस्तुत की जायेगी ।

3– उक्त धनराशि निदेशक,पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना उत्तरांचल,देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार देहरादून से आहरित कर निदेशक, पी0एम0यू0 के देहरादून स्थित बैंक खाते में जमा की जायेगी ।

4– उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा । धनराशि केवल स्वीकृत/अनुमोदित मदो पर ही व्यय की जायेगी । स्वीकृत से अधिक व्यय किसी भी दशा में नही किया जायेगा । गाड़ियों के अनुरक्षण ,पेंट्रोल व्यय,टेलिफोन व्यय, अतिरिक्त व्यय की मदो के लिए मानकों को निर्धारित कर उस पर पी0एम0यू0 की वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा । कार्यालय व्यय की धनराशि अनुमोदित मदो पर ही व्यय की जायेगी।

क्रमशः–2

5– स्वीकृत धनराशि का विभिन्न मदों पर व्यय अनुमोदित परियोजना के अनुसार तथा सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करके ही किया जायेगा । कार्यवार धनावंटन एव व्यय की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी ।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । इसके साथ ही समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता सम्बंधी शासनादेश के अनुसार ही धनराशि व्यय की जाय और मितव्ययता बरती जाय ।

7– उपरोक्त प्रस्तर–4 एंव 5 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग /उपक्रम में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ./सहायक लेखाधिकारी सुनिश्चित करेंगे यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार से विचलन होगा तो सम्बन्धित वित्त नियत्रक आदि का उत्तरदायित्व होगा । सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना वित्त विभाग को दी जाय ।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि से कृत कार्य की वित्तीय एंव भौतिक प्रगति का विवरण शासन एंव उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एंव भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जाय ।

9– इस सम्बंध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के अनुदान संख्या–13 के लेखा शीर्षक–2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01 –जलपूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें –04–ग्रामीण सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान–20–सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा ।

10– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या 2740/वित्त अनुभाग–3/2004 दिनांक 05 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(पी0के0महान्ति)
सचिव ।

संख्या 115(1)/नौ–2–04(24पे0)2001, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून ।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
3– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग ।

कृपया...3...

4– जिला पंचायत राज अधिकारी,,रूद्रप्रयाग ।
5– डी0पी0एम0यू0स्वजल परियोजना,रूद्रप्रयाग ।
6– निदेशक,सी0आर0एस0टी0,ग्रामीण विकास मंत्रालय पेयजल आपूर्ति विभाग भारत सरकार नई दिल्ली ।
7– वित्त अनुभाग–3/वित्त(बजट सेल)/ नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
8– निदेशक, सूचना एंव लोक सम्पर्क निदेशालय,देहरादून ।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/पेयजल मंत्री ।
10– निदेशक,एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,देहरादून ।

आज्ञा से

(कँवर सिंह)
अपर सचिव